

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2019—माघ 26, शक 1940

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं
कार्यालय, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 850

नरसिंहपुर, दिनांक 8 फरवरी 2019

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5 क तथा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन नगर पालिका परिषद् नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची -1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है।

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति /सुझाव कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची -1

क्रमांक	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत	शामिल किये जाने वाले ग्राम (संपूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1.	देवरी कलां	ग्राम डेडवारा का संपूर्ण क्षेत्र ग्राम बांसकुवारी का संपूर्ण क्षेत्र	नरसिंहपुर	190.740 84.743
2	नकटुआ	नकटुआ - आंशिक	नरसिंहपुर	170.865
3	रोंसरा	रोंसरा - संपूर्ण क्षेत्र	नरसिंहपुर	197.864
4	खमरिया	करैयाखेडा - संपूर्ण क्षेत्र	नरसिंहपुर	317.030
5	खमतारा	खमतारा - आंशिक	नरसिंहपुर	39.000
6	सूरजगांव	सूरजगांव - आंशिक	नरसिंहपुर	150.167
7	खेरी	खेरी - संपूर्ण क्षेत्र	करेली	568.472
कुल				1718.881 हेक्टेयर

अनुसूची -2

अनुसूची -1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है -

- पूर्व - ग्राम खमतरा के - 188/2, 168/2, 172, 177/1, 163, 165, 53/1, 54,58, 56/2, 56/1, ग्राम सूरजगाँव के -128, 131/1, 127/3, 127/1, 143, 144, 120/1, 120/2-3, 117/2, 117/1, 114,116,119,118,145 तक ग्राम करैयाखेडा - 123/2, 122/2, 122/1, 121/1, 104, 103, 102/3,100/1, 91, 1-87 से न0पा0 की वर्तमान सीमा तक ।
- उत्तर - ग्राम करैयाखेडा एवं डेढवांरा के समस्त खसरो से न0पा0 की वर्तमान उत्तरी सीमा तक ।
- पश्चिम - न0पा0 की वर्तमान सीमा से लगे ग्राम खैरी के खसरा 33/1, 30/2, 2, 4/5, 6, 134, 136/10, 103,104, 117, 122, 141, 142, 154/2, 153, 156, 165/4 एवं 170/1, 173/1 तक के खसरे अर्थात् टट्टा पुल, खेवा पुल जो कि फोर लाइन के पास है ।
- दक्षिण - ग्राम खैरी के खसरा के 159 की दक्षिणी मेढ से प्रारंभ होकर 162, 165/1, 167/1, 173/1 से न0पा0 की वर्तमान दक्षिणी सीमा से ग्राम बांसकुवारी के समस्त खसरो को सम्मिलित करते हुए ग्राम नकटुआ के आंशिक खसरे 118,132/4, 132/5, 132/1, 135/1, 135/2, 124, 125, 123/2, 104/2, 102/1, 79/2, 73/3, 78, 77/1 एवं 75 तक ग्राम रौसरा के समस्त खसरो को लेते हुए ग्राम खमतरा के खसरा नं. 6/2, 6/8, 6/1, 6/9, 6/10, 6/3, 6/15, 52/1 52/1-6, 52/12, 52/11, 52/1,2,5 166, 168/1, एवं 172 तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5 क तथा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन नगर पालिका परिषद् नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची -1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है।

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

नगर पालिका नरसिंहपुर की वर्तमान सीमा में निम्न उल्लेखित क्षेत्र सम्मिलित कर निम्नानुसार सीमा वृद्धि एवं निधारण प्रस्तावित किया जाता है।

- पूर्व - ग्राम खमतरा के - 188/2, 168/2, 172, 177/1, 163, 165, 53/1, 54, 58, 56/2, 56/1,
ग्राम सूरजगांव के - 128, 131/1, 127/3, 127/1, 143, 144, 120/1, 120/2-3, 117/2, 117/1, 114, 116, 119, 118, 145 तक
ग्राम करैयाखेडा - 123/2, 122/2, 122/1, 121/1, 104, 103, 102/3, 100/1, 91, 1-87 से न0पा0 की वर्तमान सीमा तक।
- उत्तर - ग्राम करैयाखेडा एवं डेढवारा के समस्त खसरों से न0पा0 की वर्तमान उत्तरी सीमा तक।
- पश्चिम - न0पा0 की वर्तमान सीमा से लगे ग्राम खैरी के खसरा 33/1, 30/2, 2, 4/5, 6, 134, 136/10, 103, 104, 117, 122, 141, 142, 154/2, 153, 156, 165/4 एवं 170/1, 173/1 तक के खसरों अर्थात् टट्टा पुल, खेदा पुल जो कि फोर लाइन के पास है।
- दक्षिण - ग्राम खैरी के खसरा के 159 की दक्षिणी मेढ से प्रारंभ होकर 162, 165/1, 167/1, 173/1 से न0पा0 की वर्तमान दक्षिणी सीमा से ग्राम बांसकुवारी के समस्त खसरों को सम्मिलित करते हुए ग्राम नकटुआ के आंशिक खसरों 118, 132/4, 132/5, 132/1, 135/1, 135/2, 124, 125, 123/2, 104/2, 102/1, 79/2, 73/3, 78, 77/1 एवं 75 तक ग्राम रौसरा के समस्त खसरों को लेते हुए ग्राम खमतरा के खसरा नं. 6/2, 6/8, 6/1, 6/9, 6/10, 6/3, 6/15, 52/1 52/1-6, 52/12, 52/11, 52/1, 2.5 166, 168/1, एवं 172 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सक्सेना, कलेक्टर.

Narsinghpur Dated 8th February 2019

No. BSO..... In exercise power conformed by clause 5-A & 6 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961 The state government here by notify its intension to include the local area which are shown in the schedule 1 below with in the limit of the Nagar Palika Narsinghpur district Narsinghpur.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suqgestion in writing to the Collector District Narsinghpur with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :-

SCHEDULE-1

S.No.	Name of the Urban Area/Gram Panchayat	Name of Villages to be included (whole Revenue Village)	Tehsil	Area (in Hectares)
1	Devery Kala	1. Gram Dedwara whole 2. Gram Basquwari Whole	Narsinghpur	190.740 84.743
2	Nakatuwa	Gram Nakatuwa partial	Narsinghpur	170.865
3	Ronsara	Gram Ronsara whole	Narsinghpur	197.864
4	Khamariya	Gram Karaiya Kheda whole	Narsinghpur	317.030
5	Khamtara	Gram Khamtara partial	Narsinghpur	39.000
6	Surajgaon	Gram Surajgaon partial	Narsinghpur	150.167
7	Kheri	Gram Kheri whole	Kareli	568.472
			Total Area :-	1718.881

SCHEDULE-2

No. 850

Narsinghpur Dated. 08/02/2019

Revised boundary of Nagar Palika Narsinghpur including the area shown in schedule No.-1.

East :- Gram Khamtara Khasra No. 188/2, 168/2, 172, 177/1, 163, 165, 53/1, 54, 58, 56/2, 56/1 Gram/Surajgaon Khasra No. 128, 131/1, 127/3, 127/1, 143, 144, 120/1, 120/2-3, 117/2, 117/1, 114, 116, 119, 118 & 145 Gram Karaiya Kheda Khasara No. 123/2, 122/2, 122/1, 121/1, 104, 103, 102/3, 100/1, 91 & 1-87, including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and proposed above extended boundary.

North :- Starting from North boundaries of Gram Karaiya Kheda, Gram dedwara Khasara's including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and proposed above extended boundary.

West :- Starting from West boundaries Gram Kheri Khasara No. 33/1, 30/2, 2, 4/5, 6, 134, 136/10, 103, 104, 117, 122, 141, 142, 154/2, 153, 156, 165/4, 170/1 & 173/1 including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and above extended boundary on Tatta Pul, Kheda Pul, Near the four line.

South :- Starting from South boundaries Gram Kheri 162, 165/1, 167/1, and 173/1, Gram Narsinghpur, Gram Basquwari all Khasara's Gram Nakatuwa Khasara No. 118, 132/4, 132/5, 132/1, 135/1, 135/2, 124, 125, 123/2, 104/2, 102/1, 79/2, 73/3, 78, 77/1 and 75 Gram Ronsara all Khasara's Gram Khamtara Khasara No. 6/2, 6/8, 6/1, 6/9, 6/10, 6/3, 6/15, 52/1, 52/1-6, 52/12, 52/11, 52/1, 2, 5, 166, 168/1 and 172 including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and proposed above extended boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

No. 858

Narsinghpur , Dated 8th February 2019

In exercise power conformed by clause 5-A & 6 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) The state government here by notify its intension to include the local area which are shown in the schedule 1 below with in the limit of the Nagar Palika Narsinghpur district Narsinghpur.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suqgestion in writing to the Collector District Narsinghpur with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :-

Revised boundary of Nagar Palika Narsinghpur including the area shown in schedule

East :- Gram Khamtara Khasra No. 188/2, 168/2, 172, 177/1, 163, 165, 53/1, 54, 58, 56/2, 56/1 Gram/Surajgaon Khasra No. 128, 131/1, 127/3, 127/1, 143, 144, 120/1, 120/2-3, 117/2, 117/1, 114, 116, 119, 118 & 145 Gram Karaiya Kheda Khasra No. 123/2, 122/2, 122/1, 121/1, 104, 103, 102/3, 100/1, 91 & 1-87, including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and proposed above extended boundary.

North :- Starting from North boundaries of Gram Karaiya Kheda, Gram dedwara Khasara's including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and proposed above extended boundary.

West :- Starting from West boundaries Gram Kheri Khasara No. 33/1, 30/2, 2, 4/5, 6, 134, 136/10, 103, 104, 117, 122, 141, 142, 154/2, 153, 156, 165/4, 170/1 & 173/1 including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and above extended boundary on Tatta Pul, Kheda Pul, Near the four line.

South :- Starting from South boundaries Gram Kheri 162, 165/1, 167/1, and 173/1, Gram Narsinghpur, Gram Basquwari all Khasara's Gram Nakatuwa Khasara No. 118, 132/4, 132/5, 132/1, 135/1, 135/2, 124, 125, 123/2, 104/2, 102/1, 79/2, 73/3, 78, 77/1 and 75 Gram Ronisara all Khasara's Gram Khamtara Khasara No. 6/2, 6/8, 6/1, 6/9, 6/10, 6/3, 6/15, 52/1, 52/1-6, 52/12, 52/11, 52/1, 2, 5, 166, 168/1 and 172 including the all area and land innerside of above Khasara's land and area situated between present Municipal limit and proposed above extended boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

क्र. 846-सीमावृद्धि-2019

नरसिंहपुर, दिनांक 8 फरवरी 2019

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन 1961) की धारा 5 क तथा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन नगर पालिका करेली जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है ।

अनुसूचित में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा -

अनुसूची	
नगर पालिका करेली की वर्तमान सीमा में निम्न उल्लेखित क्षेत्र, सम्मिलित कर निम्नानुसार सीमा वृद्धि एवं निर्धारण प्रस्तावित किया जाता है	
पूर्व	नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा यथावत।
उत्तर	नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा से लगे हुये ग्राम इमलिया के खसरा नं0 1 से लेकर 177 तक का राजस्व ग्राम इमलिया का संपूर्ण भाग।
पश्चिम	नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा से लगे हुये ग्राम जौहरिया के खसरा नं0 1 से लेकर 184 तक का राजस्व ग्राम जौहरिया का संपूर्ण भाग।
दक्षिण	नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा यथावत।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर .

No. 846-सीमावृद्धि-2019

Narsinghpur, Dated 8th February 2019

In exercise power conformed by section 5-A and 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) The government is pleased to include the areas as mentioned in schedule given within the limits of the Municipal Council Kareli district Narsinghpur.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector District Narsinghpur with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :-

SCHEDULE

The Revised boundary of the Municipal Council Kareli District Narsinghpur after the inclusion of the area prescribed in Schedule above is as follows :-

- East :-** Land and area situated between present Municipal limit.
- North :-** Starting from present boundaries of Municipal Council Kareli including the all area and land of village Imaliya Khasra No. from 1 to 177 of revenue village of Imaliya.
- West :-** Starting from present boundaries of Municipal Council Kareli including the all area and land of village Jouhariya Khasra No. from 1 to 184 of revenue village Jouhariya.
- South :-** Land and area situated between present Municipal limit.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन 1961) की धारा 5 तथा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन नगर पालिका करेली जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है ।

अनुसूचित में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा -

अनुसूची -1

क्र	शामिल की जाने वाली गाम पंचायत	शामिल किये जाने वाले गाम (सम्पूर्ण राजस्व गाम)	तहसील	शामिल किये जाने वाले गाम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	इमलिया	इमलिया (प0ह0नंबर 35)	करेली	198.198
2	जौहरिया	जौहरिया (प0ह0नंबर 34)	करेली	200.356
कुल				398.554 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर .

In exercise power conformed by section 5-A and 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) The government is pleased to include the areas as mentioned in schedule given within the limits of the Municipal Council Kareli district Narsinghpur.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector District Narsinghpur with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :-

Schedule -1

S.No	Proposed Gram Panchayat including	Proposed Village including (Total Revenue Village)	Tehsil	Total Area to be included (In Hec.)
1	Imaliya	Imaliya PH No 35	Kareli	198.198
2	Jouhariya	Jouhariya PH No 34	Kareli	200.356
Total				398.554 Hec.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

क्र. 846-सीमावृद्धि-2019

नरसिंहपुर, दिनांक 8 फरवरी 2019

अनुसूची-दो

नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा में निम्न उल्लेखित क्षेत्र सम्मिलित कर निम्नानुसार सीमा वृद्धि एवं निर्धारण अनुसूची एक अनुसार प्रस्तावित किया जाता है।

पूर्व :- नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा यथावत।

उत्तर :- नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा से लगे हुये ग्राम इमलिया के खसरा नं0 1 से लेकर 177 तक का राजस्व ग्राम इमलिया का संपूर्ण भाग

पश्चिम :- नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा से लगे हुये ग्राम जौहरिया के खसरा नं0 1 से लेकर 184 तक का राजस्व ग्राम जौहरिया का संपूर्ण भाग

दक्षिण :- नगरपालिका करेली की वर्तमान सीमा यथावत।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर .

No. 846-सीमावृद्धि-2019

Narsinghpur, Dated 8th February 2019

SCHEDULE-II

The Revised boundary of the Municipal Council Kareli District Narsinghpur after the inclusion of the area prescribed in Schedule-I above is as follows :-

- East :-** Land and area situated between present Municipal limit.
- North :-** Starting from present boundaries of Municipal Council Kareli including the all area and land of village Imaliya Khasra No. from 1 to 177 of revenue village of Imaliya.
- West :-** Starting from present boundaries of Municipal Council Kareli including the all area and land of village Johariya Khasra No. from 1 to 184 of revenue village Jouhariya.
- South :-** Land and area situated between present Municipal limit.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

क्रमांक 848-सीमावृद्धि-2019

नरसिंहपुर, दिनांक 8 फरवरी 2019

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन 1961) की धारा 5 (क) तथा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन नगर पालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है ।

अनुसूचित में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा -

अनुसूची	
नगर पालिका गोटेगांव की वर्तमान सीमा में निम्न उल्लेखित क्षेत्र, सम्मिलित कर निम्नानुसार सीमा वृद्धि एवं निर्धारण प्रस्तावित किया जाता है	
उत्तर	खमरिया रोड 281/1 गया प्रसाद खसरा क्र० 56,57,1,2,3,4 खसरा क्रमांक 85, मुस्ताक खान एवं समस्त खसरे छोटा छिंदवाडा
पूर्व	खसरा नं० 87,88 मोहन तामकार का खेत नई गल्ला मंडी खसरा नं. 140,144,179 तक एवं समस्त खसरे छिंदौरी ग्राम (वायपास रोड के अंदर का समस्त भाग नगरपालिका की सीमा की तरफ)
दक्षिण	गोटेगांवखेडा 99/1, 90/1, 86/1, 88/1, 302 एवं समस्त खसरे गोटेगांव खेडा (वायपास रोड के अंदर का समस्त भाग नगरपालिका की सीमा की तरफ)
पश्चिम	खसरा नं० 18/1, 18/2, 27, 76/2, 76/5, 90/2, 89/2, 89/3, 1,2,4, 7/4, 11/7 118, एवं समस्त खसरे कुम्हडाखेडा एवं छोटा छिंदवाडा (रेल्वे क्रासिंग तक का क्षेत्र दोनों ओर)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर .

No. 848

Narsinghpur, Dated 8th February 2019

In exercise power conformed by section 5-A and 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) The government is pleased to include the areas as mentioned in schedule given within the limits of the Municipal Council Gotegaon district Narsinghpur.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector District Narsinghpur with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :-

SCHEDULE

The Revised boundary of the Municipal Council Council Gotegaon District Narsinghpur after the inclusion of the area prescribed in Schedule-1 above is as follows :-

- North :- Khamariya road 281 /1 Gaya Prashad Khasra No. 56,57,1,2,3,4
Khasra No. 85 Mustak khan and All khasre Chhota Chhindwada
- East :- Khasra No. 87,88 Land of Mohan Tamarkar New Galla Mandi Khasra No. 140,144,179 and All khasre Chhindouri village.(All Inner Part of by pass road toward Nagarpalika side)
- South :- Gotegaon Kheda Khasra No. 99/1,90/1,86/1,88/1,302 and All khasre Gotegaon Kheda (All Inner Part of by pass road toward Nagarpalika side)
- West :- Khasra No. 18/1, 18/2 ,27,76/2,76/5, 90/2,89/2,89/3,1,2,3,7/4,11/7,118 and All khasre Kumhrakheda and Chhota Chhindwada (both side of railway crossing)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन 1961) की धारा 5 तथा 6 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन नगर परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है ।

अनुसूचित में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा -

अनुसूची -1

क्र	शामिल की जाने वाली पंचायत	शामिल किये जाने वाले ग्राम (सम्पूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	कुम्हडाखेडा	कुम्हडाखेडा (प0ह0नंबर 47)	गोटेगांव	178.526
2	गोटेगांवखेडा	गोटेगांवखेडा (प0ह0नंबर 48)	गोटेगांव	218.61
3	छिंदौरी ग्राम	छिंदौरी (प0ह0नं0 44)	गोटेगांव	96.54
कुल				493.676 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर.

In exercise power conferred by section 5-A and 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) The government is pleased to include the areas as mentioned in schedule given within the limits of the Municipal Council Gotegaon district Narsinghpur.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector District Narsinghpur with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :-

Schedule -1

S.No	Proposed Gram Panchayat including	Proposed Village including (Total Revenue Village)	Tehsil	Total Area to be included (In Hec.)
1	Kumhdakheda	Kumhdakheda PH No 47	Gotegaon	178.526
2	GotegaonKheda	GotegaonKheda PH No 48	Gotegaon	218.61
3	Chhindouri	Chhindouri PH No 44	Gotegaon	96.54
Total				493.676 Hec.

By order & in the Name of the Governor of Madhya Pradesh

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

अनुसूची-2

क्र. 848-सीमावृद्धि-2019

नरसिंहपुर, दिनांक 8 फरवरी 2019

नगर पालिका गोटेगांव की वर्तमान सीमा में निम्न उल्लेखित क्षेत्र, सम्मिलित कर निम्नानुसार सीमा वृद्धि एवं निर्धारण अनुसूची एक अनुसार प्रस्तावित किया जाता है	
उत्तर	खमरिया रोड 281/1 गया प्रसाद खसरा क्र० 56,57,1,2,3,4 खसरा क्रमांक 85, मुस्ताक खान एवं समस्त खसरे छोटा छिंदवाडा
पूर्व	खसरा नं० 87,88 मोहन तामकार का खेत नई गल्ला मंडी खसरा नं. 140 ,144 ,179 तक एवं समस्त खसरे छिंदीरी ग्राम (वायपास रोड के अंदर का समस्त भाग नगरपालिका की सीमा की तरफ)
दक्षिण	गोटेगांवखेडा 99/1 ,90/1 ,86/1, 88/1, 302 एवं समस्त खसरे गोटेगांव खेडा (वायपास रोड के अंदर का समस्त भाग नगरपालिका की सीमा की तरफ)
पश्चिम	खसरा नं० 18/1, 18/2, 27, 76/2 ,76/5 , 90/2, 89/2, 89/3 , 1,2,4 , 7/4 , 11/7 118, एवं समस्त खसरे कुम्हडाखेडा एवं छोटा छिंदवाडा (रेल्वे क्रांसिंग तक का क्षेत्र दोनों ओर)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर .

क्र. 848-सीमावृद्धि-2019

Narsinghpur, Dated 8th February 2019

The Revised boundary of the Municipal Council Council Gotegaon District Narsinghpur after the inclusion of the area prescribed in Schedule-1 above is as follows :-

- North :-** Khamariya road 281 /1 Gaya Prashad Khasra No. 56,57,1,2,3,4
Khasra No. 85 Mustak khan and All khasre Chhota Chhindwada
- East :-** Khasra No. 87,88 Land of Mohan Tamarkar New Galla Mandi Khasra No. 140,144,179 and All khasre chhindori village.(All Inner Part of by pass road toward Nagarpalika side)
- South :-** Gotegaon Kheda Khasra No. 99/1,90/1,86/1,88/1,302 and All khasre Gotegaon Kheda (All Inner Part of by pass road toward Nagarpalika side)
- West :-** Khasra No. 18/1, 18/2 ,27,76/2,76/5, 90/2,89/2,89/3,1,2,3,7/4,11/7,118 and All khasre Kumharakheda and Chhota Chhindwada (both side of railway crossing)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SAXENA, Collector.

नगरपालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर म०प्र०
नगरपालिका परिषद गोटेगांव की वर्तमान सीमा एवं प्रस्तावित सीमा वृद्धि दर्शाने वाला पत्रक

क्र. मां. सं.	एरिया क्षेत्रफल	जन संख्या जन गणना 2011 अनुसार	सीमावृद्धि के प्रस्तावित क्षेत्र एरिया	नगर की वर्तमान सीमा का विवरण	शामिल करने वाले क्षेत्र की जनसंख्या	प्रस्तावित कुल जनसंख्या	कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6.67 वर्ग किमी०	27068	उत्तर खमरिया रोड 281/1 गया प्रसाद खसरा क्र० 56, 57, 1, 2, 3, 4 खसरा क्रमांक 85, मुस्ताक खान एवं समस्त खसरे छोटा छिंदवाडा	उत्तर नगर पालिका की पूर्व सीमा मुरलीधर वार्ड आजाद वार्ड कामथ वार्ड एवं नेहरू वार्ड समस्त क्षेत्र समस्त खसरे छोटा छिंदवाडा	कम्हड़ा खेड़ा की जनसंख्या 937 गोटेगांव खेड़ा की जनसंख्या 1114 छिंदौरी की जनसंख्या 905	30024	11.61 वर्ग किमी०
			पूर्व खसरा नं० 87, 88 मोहन ताम्रकार का खेत नई गल्ला मंडी, 140, 144, 179 तक एवं समस्त खसरे छिंदौरी ग्राम (वायपास रोड के अंदर का समस्त भाग नगरपालिका की सीमा की तरफ)	पूर्व बांस एवं हरदोल वार्ड का समस्त क्षेत्र छोटा छिंदवाडा का समस्त खसरे			

क्र. मा. क	एरिया क्षेत्रफल	जन सख्या जन गणना 2011 अनुसार	सीमावृद्धि के प्रस्तावित क्षेत्र एरिया	नगर की वर्तमान सीमा का विवरण	शामिल करने वाले क्षेत्र की जनसंख्या	प्रस्तावित कुल जनसंख्या	कुल क्षेत्रफल
			दक्षिण. गोटेगांवखेडा 99/1, 90/1, 86/1, 88/1, 302 एवं समस्त खसरे गोटेगांव खेडा (वायपास रोड के अंदर का समस्त भाग नगरपालिका की सीमा की तरफ)	दक्षिण पटेल वाडे एव ठाकुर बाबा वाडे का समस्त क्षेत्र समस्त खसरे छोटा छिदवाडा	कुल जनसंख्या 2956		
			पश्चिम खसरा नं0 18/1, 18/2, 27, 76/2, 76/5, 90/2, 89/2, 89/3, 1,2,4, 7/4, 11/7 118, एवं समस्त खसरे कुम्हडाखेडा एवं छोटा छिदवाडा (रेल्वे क्रासिंग तक का क्षेत्र दोनों ओर)	पश्चिम भगतसिंह वाडे का सम्पूर्ण क्षेत्र छोटा छिदवाडा समस्त खसरे			

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् गोटेगांव.